PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

16/12/2024 से 22/12/2024 तक

THE HINDU

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और भारत में राजनीतिक दल 1

2. एक राष्ट्र – एक चुनाव 129वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2024.....4

PLUTUS IAS

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और भारत में राजनीतिक दल

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (Prevention of Sexual Harassment Act- POSH अधिनियम) की लागू होने की प्रक्रिया पर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई की है।
- भारत में यह मामला विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक संगठनों की संरचना को देखते हुए अस्पष्ट बना हुआ है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने POSH अधिनियम के समान प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
- इसे भारत में महिला सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्या है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ?

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (Prevention of Sexual Harassment Act- POSH अधिनियम), जिसे भारत सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने और सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया था, महिलाओं सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा से संबंधित एक महत्व-पूर्ण पहल है।
- इस अधिनियम की उत्पत्ति 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय से हुई, जिसमें महिलाओं को यौन – उत्पी-ड़न से बचाने के लिए विशाखा दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे।
- ये दिशा-निर्देश भारतीय संविधान के सिद्धांतों (जैसे अनुच्छेद 15, जो लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है) और अंतर्राष्ट्रीय संधियों (जैसे CEDAW, जिसे भारत ने 1993 में अनुमोदित किया था) पर आधारित हैं, जो इस अधिनियम के कानूनी आधार के रूप में कार्य करते हैं।
- इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न की परिभाषा विस्तृत रूप से दी गई है, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिए अनुरोध, यौन टिप्पणी, पोर्नोग्राफी का प्रदर्शन और किसी भी अन्य यौन उत्पीड़नकारी व्यवहार को शामिल किया गया है, चाहे वह शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक हो।
- इस अधिनियम में कार्यस्थल की परिभाषा भी व्यापक है और इसमें सरकार द्वारा स्थापित या वित्तपोषित सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, निजी क्षेत्र के संगठन, और वे स्थान भी शामिल हैं जहाँ कर्मचारियों को रोजगार के दौरान जाना पड़ता है।
- POSH अधिनियम की धारा 3(1) के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

POSH अधिनियम के प्रमुख प्रावधान :

1. **आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना आवश्यक :** इस अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिये 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ICC का गठन करना आवश्यक है।
2. **रोकथाम और निषेध :** यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और उसे निषिद्ध करने के लिए नियोक्ताओं पर कानूनी जिम्मेदारी डालता है।
3. **साक्ष्य एकत्र करने की शक्ति प्रदान करना :** शिकायत समिति को सिविल न्यायालयों के समान साक्ष्य एकत्र करने का अधिकार दिया गया है, जिससे वे मामले की जांच कर सकें।
4. **छोटे संगठनों में शिकायतों के समाधान से संबंधित एक स्थानीय समिति के गठन का प्रावधान होना :** यदि किसी संगठन में 10 से कम कर्मचारी हैं, या विशेष परिस्थितियों में आंतरिक समिति का गठन संभव नहीं है, तो ज़िलाधिकारी द्वारा एक स्थानीय समिति (LC) का गठन किया जाता है, जो शिकायतों का समाधान करती है।
5. **नियोक्ताओं की जिम्मेदारी :** इस अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर जागरूकता अभियान चलाने, सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने और POSH अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने का कर्तव्य होता है।
6. **दंड का प्रावधान होना :** यदि कोई नियोक्ता POSH अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे जुर्माना और व्यवसाय लाइसेंस रद्द करने जैसी सजा दी जा सकती है।
7. **अपील की प्रक्रिया :** यदि कोई व्यक्ति ICC के फैसले से असंतुष्ट है, तो वह अपनी अपील औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय में कर सकता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

8. **संबंधित पक्षों को शिकायत से संबंधित उचित अवसर देने की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना** : इस अधिनियम में एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें शिकायत दर्ज करने, जांच करने और सभी संबंधित पक्षों को उचित अवसर देने की व्यवस्था है।

भारत में POSH अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को लाना क्यों है जरूरी ?

1. **महिला सांसदों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ना :** 2016 में किए गए अंतर-संसदीय संघ (IPU) सर्वेक्षण से यह सामने आया कि वैश्विक स्तर पर 82% महिला सांसदों को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसमें लैंगिक भेदभावपूर्ण टिप्पणियाँ और धमकियाँ शामिल हैं। वहीं, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में 40% महिला सांसद यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं।

2. **सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता :** महिला सांसदों की बढ़ती संख्या के बावजूद, लोकसभा में उनकी सीटों का केवल 14.4% और राज्य विधानसभाओं में 10% से भी कम हिस्सा है, जो संरचनात्मक बाधाओं को दर्शाता है। राजनीतिक दलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने से महिलाओं को और अधिक प्रतिनिधित्व और उनके नेतृत्व की भूमिका में वृद्धि हो सकती है।

3. **कानूनी और संवैधानिक आवश्यकता :** POSH अधिनियम में "कार्यस्थल" और "कर्मचारी" की विस्तृत परिभाषाओं के तहत स्वयंसेवक, पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी आ सकते हैं, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 समानता और भेदभाव से मुक्ति की गारंटी देते हैं।

4. **आंतरिक शिकायत प्रणालियों की कमी होना :** राजनीतिक दलों में अक्सर प्रभावी और उचित शिकायत निवारण तंत्र का अभाव होता है। इसके कारण उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्टिंग में कमी आती है। आंतरिक समितियों में बाहरी सदस्यों को शामिल करना या POSH अधिनियम द्वारा निर्धारित निष्पक्षता मानकों को पूरा करना अनिवार्य नहीं होता, जिससे शिकायतों के निपटान में पारदर्शिता की कमी रहती है।

5. **चुनावी और संस्थागत सुधार को सुनिश्चित करने में मदद मिलना :** POSH अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को शामिल करने से चुनाव आयोग को पार्टी संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, प्रभावशाली संस्थाओं में आंतरिक लोकतंत्र और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

6. **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना :** भारत को स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने लिंग-संवेदनशील राजनीतिक प्रथाओं को अनिवार्य किया है। उदाहरण के लिए – वर्ष 2017 में यूके संसद में स्थापित स्वतंत्र शिकायत और शिकायत नीति (Independent Complaints and Grievance Policy- (ICGP) का उद्देश्य संसद में यौन उत्पीड़न से निपटना है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में न्यायमूर्ति वर्मा समिति की मुख्य सिफारिशें :

- वर्ष 2012 में दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। जिनमें निम्नलिखित सिफारिशें शामिल है –

1. **घरेलू कामकाजी महिलाओं को शामिल करना :** इस समिति ने यह सुझाव दिया कि घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी POSH अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे यौन उत्पीड़न से बच सकें।

2. **नियोक्ता को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अन्य कानूनी उपायों के साथ-साथ मुआवज़ा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना :** न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने यह अनुशंसा की कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को न केवल कानूनी उपायों के तहत बल्कि मुआवजा भी प्रदान किया जाना चाहिए, और इसके लिए नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

3. **यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए एक रोज़गार न्यायाधिकरण का गठन किया जाना :** आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) के अलावा, समिति ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए एक रोज़गार न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव रखा, ताकि अधिक निष्पक्ष और विस्तृत निर्णय लिया जा सके।

भारत में POSH अधिनियम के अनुप्रयोग में राजनीतिक दलों के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ :

1. **कार्यस्थल की पहचान करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होना :** राजनीतिक दलों में अस्थायी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होती है, जिनका कोई स्थिर कार्यस्थल या उच्च अधिकारियों के साथ सीधा संबंध नहीं होता, जिससे कार्यस्थल की पहचान करना और ICC की स्थापना करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

2. **स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव होना :** राजनीतिक दलों में आमतौर पर यौन उत्पीड़न जैसे मामलों का प्रबंधन उनके स्वयं के आंतरिक ढांचे के तहत किया जाता है, क्योंकि POSH अधिनियम के अनुप्रयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है।

3. **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका :** संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन POSH जैसे कानूनों के मामलों में इसकी भूमिका अभी भी अस्पष्ट है।

4. **विधिक उदाहरण :** केरल उच्च न्यायालय ने संवैधानिक अधिकार अनुसंधान एवं वकालत केंद्र बनाम केरल राज्य (2022) मामले में फैसला सुनाया कि राजनीतिक दलों का अपने सदस्यों के साथ नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है और इसलिये वे ICC के लिये बाध्य नहीं हैं। यह निर्णय राजनीतिक दलों में कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों के लागू करने में जटिलताओं को उजागर करता है।

राजनीतिक दलों से संबंधित अन्य मुद्दे :

1. **राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के दायरे में लाना :** वर्ष 2013 में केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया था, लेकिन अधिकांश दल इसका विरोध करते हैं। इसके कारण लोक-तांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है, और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता की कमी होती है।

2. **आयकर अनुपालन की कमी :** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के तहत राजनीतिक दलों को करों से छूट प्राप्त है, यदि वे अपने वित्तीय विवरणों को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, कई दल इन विवरणों में पारदर्शिता नहीं रखते, जिससे उस पर वित्तीय दुरुपयोग के आरोप लगते रहते हैं।

आगे की राह :

1. **विधायी संशोधन की आवश्यकता :** POSH अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए ताकि राजनीतिक दलों को इसके दायरे में स्पष्ट रूप से लाया जा सके। इसके साथ ही, विशेषकर पार्टी संरचनाओं के संदर्भ में "कार्यस्थल" और "नियोक्ता" से संबंधित अस्पष्टताओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

2. **स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता :** भारत में POSH अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है। यदि छोटे संगठनों (जिनमें 10 से अधिक सदस्य हों) को आंतरिक समितियां गठित करने का आदेश दिया जा सकता है, तो राजनीतिक दलों को इस दायरे से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।

3. **आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की स्थापना अनिवार्य करना :** राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की स्थापना अनिवार्य बनानी चाहिए। इससे POSH अधिनियम का सही अनुपालन सुनिश्चित होगा और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जा सकेगा।

4. **नियमित रूप से प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित कर यौन उत्पीड़न के मामलों में लोगों में जागरूकता बढ़ाना :** राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न के मामलों और ICC की कार्यप्रणाली पर सदस्यों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, ताकि इस विषय पर जागरूकता बढ़े और प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

5. **महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक समर्पित न्यायाधिकरण की स्थापना करना :** वर्मा समिति की सिफारिश के अनुरूप, राजनीतिक दलों में उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे के लिए एक समर्पित न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। इससे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समावेशी राजनीतिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा, साथ ही जवाबदेही भी बढ़ेगी और निवारण समय पर होगा।

6. **भारत निर्वाचन आयोग को कार्यस्थल सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करने और इन्हें लागू करने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता :** भारत निर्वाचन आयोग को कार्यस्थल सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करने और इन्हें लागू करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। इसके साथ ही, राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष :

- भारत में राजनीतिक दलों में POSH अधिनियम को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के विचार-विमर्श से यह सिद्ध होता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा से संबंधित सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त कानूनी ढांचा का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। राजनीतिक दलों की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका को देखते हुए, उन्हें महिलाओं के उत्पीड़न से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। इस कदम से न केवल राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल एवं उनसे संबंधित सुरक्षा के मानकों को भी प्रभावित करेगा।

स्त्रोत – द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, भारत सरकार द्वारा कार्य-स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए लागू किया गया है।
2. विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे, जो POSH अधिनियम के कानूनी आधार के रूप में कार्य करते हैं।
3. POSH अधिनियम केवल सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों पर लागू होता है।
4. POSH अधिनियम की धारा 3(1) के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 4

B. केवल 2 , 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

व्याख्या :

- POSH अधिनियम, 2013, महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
- विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे, जो POSH अधिनियम के कानूनी आधार के रूप में कार्य करते हैं। अतः कथन 2 सही है।
- POSH अधिनियम केवल सरकारी संगठनों पर लागू नहीं है, यह निजी क्षेत्र और उन स्थानों पर भी लागू होता है जहाँ कर्मचारियों को काम के दौरान जाना होता है। अतः कथन 3 गलत है।
- POSH अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कार्यस्थल पर किसी महिला को यौन उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। अतः कथन 4 सही है। इस प्रकार विकल्प A सही उत्तर है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. देश में POSH अधिनियम और अन्य विधिक उपबंधों के होने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हो रही है। इस संकट से निपटने के लिए आप कौन से नवाचारी उपाय सुझाएंगे? POSH अधिनियम की भूमिका और इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार करते हुए यह विश्ले-षित कीजिए किक्या राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

एक राष्ट्र – एक चुनाव 129वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2024

खबरों में क्यों ?

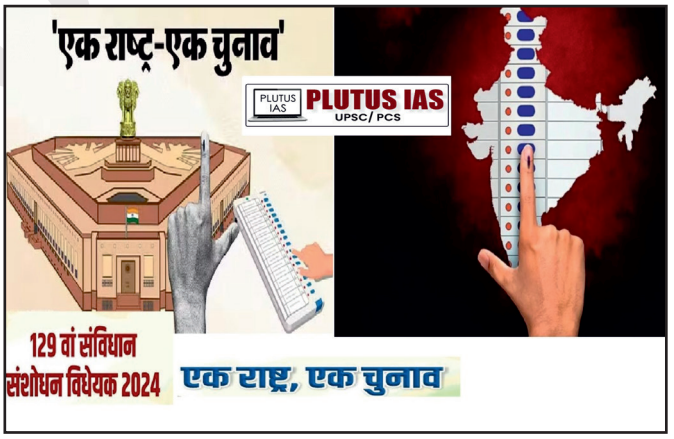

1. हाल ही में, केन्द्र सरकार ने लोकसभा में दो संविधान संशोधन विधेयक—'129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024 और 'केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2024' को पेश किया है।
2. इन दोनों संविधान संशोधन विधेयकों के जरिए सरकार ने देश में "एक राष्ट्र – एक चुनाव" को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
3. भारत में, सन 1951 से लेकर 1967 तक, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित होते थे।

' एक राष्ट्र – एक चुनाव ' 129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएँ:

- इन विधेयकों के अंतर्गत, लोकसभा और राज्य विधानसभा-ओं के कार्यकाल को समन्वित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में अनुच्छेद 82A (1-6) जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है।

1. **संविधान में अनुच्छेद 82A का समावेश :** विधेयक के तहत, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वित करने के लिए अनुच्छेद 82A (1-6) को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव है।

2. **अनुच्छेद 82A(1) :** राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक की तिथि में परिवर्तनों को लागू करने के लिए समय-सीमा का प्रावधान किया गया है, जिसे "नियत तिथि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

3. **अनुच्छेद 82A(2) :** नियत तिथि के बाद, लोकसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल भी लोकसभा के साथ समाप्त हो जाएगा।

4. **अनुच्छेद 82A(3) :** भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराने का दायित्व सौंपा जाएगा।

5. **अनुच्छेद 82A(4) :** इस अनुच्छेद के तहत "एक साथ चुनाव" को परिभाषित किया गया है, जिसमें लोकसभा और सभी विधानसभाओं के गठन के लिए आयोजित एक सामान्य चुनाव की प्रक्रिया शामिल है।

6. **अनुच्छेद 82A(5) :** निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के साथ किसी विशेष विधानसभा चुनाव को स्थगित करने का विकल्प दिया जाएगा।

7. **अनुच्छेद 82A(6) :** यदि किसी विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, तो उसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।

8. **अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन :** यदि लोकसभा कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है, तो अगली लोकसभा केवल शेष अवधि तक कार्य करेगी और लंबित विधेयकों की समय-सीमा समाप्त हो जाएगी।

9. **राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 172 में संशोधन :** यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तो चुनाव केवल शेष कार्यकाल के लिए कराए जाएंगे।

10. **अनुच्छेद 372 में संशोधन :** विधेयक में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान है, जिससे राज्य विधानसभा चुनावों पर संसद की शक्ति बढ़ेगी।

11. **स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं के चुनाव :** इस विधेयक में स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं के चुनावों को शामिल नहीं किया गया है।

12. **केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2024 :** विधेयक का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1962, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करना है ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें।

भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान :

1. **भाग XV (अनुच्छेद 324-329) :** भारतीय संविधान का यह भाग निर्वाचन और उससे संबंधित मामलों में निर्वाचन आयोग की स्थापना और उसके अधिकारों से संबंधित है।

2. **अनुच्छेद 324 :** यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की पूरी प्रक्रिया का निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करता है।

3. **अनुच्छेद 325 :** इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए **एकल निर्वाचक नामावली (Electoral Roll)** की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

4. **अनुच्छेद 326 :** यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के **चुनाव वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage)** पर आधारित होंगे।

5. **अनुच्छेद 82 और 170 :** इन अनुच्छेदों के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की आवश्यकता को सुनिश्चित करते हैं, ताकि निष्पक्ष प्रतिनिधित्व बना रहे।

6. **अनुच्छेद 172 :** इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा पांच वर्षों तक बनी रहती है, सिवाय इसके कि यदि इसे पहले विघटित नहीं कर दिया गया हो।

'एक राष्ट्र – एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें :

1. **समिति का गठन और इसका मुख्य उद्देश्य :** केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था।

2. **एक साथ चुनाव कराने का औचित्य :** भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने यह स्पष्ट किया कि बार-बार चुनावों का आयोजन राजनीतिक अस्थि-

रता और अनिश्चितता का कारण बनता है, जबकि एक साथ चुनाव कराने से स्थिर शासन प्राप्त होता है और व्यवधान कम होते हैं। इसके अतिरिक्त, इससे चुनावी लागत में कमी और मतदाता की अधिक सक्रिय भागीदारी की संभावना भी व्यक्त की गई है।

3. **निर्वाचक नामावली प्रबंधन :** समिति ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को राज्य निर्वाचन आयोगों (SEC) के परामर्श से एकल निर्वाचक नामावली तैयार करने का सुझाव दिया है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में दोहराव कम होगा और विभिन्न चुनावी एजेंसियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा।

4. **रसद व्यवस्था :** इस समिति ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) दोनों को एक साथ चुनावों के सफल क्रियान्वयन के लिए विस्तृत योजना तैयार करने और उसकी निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

एक साथ चुनाव कराए जाने से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **बुनियादी ढाँचे का विकास और उसका सही तरीके से प्रबंधन करना :** एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रभावी तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इसमें ईवीएम (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT) का सही तरीके से परिनियोजन और प्रबंधन शामिल है। उदाहरण स्वरूप – 2024 के आम चुनाव में 1.05 मिलियन मतदान केंद्रों पर 1.7 मिलियन नियंत्रण एकक और 1.8 मिलियन VVPAT प्रणालियाँ लगाई गईं।

2. **न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता और विधिक चुनौतियाँ :** एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे यह प्रक्रिया विधिक चुनौतियों का सामना कर सकती है। इसके लिए न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

3. **क्षेत्रीय असमानताएँ और क्षेत्रीय मुद्दों और हितों की अनदेखी होने की प्रबल संभावना :** भारत के कई राजनीतिक दलों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय चुनावों के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों और हितों की अनदेखी हो सकती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडा में समाहित न हो जाएं।

4. **प्रशासनिक चुनौतियाँ :** एक साथ चुनावों का आयोजन विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक दृष्टि से कठिन हो सकता है। इसमें मतदाता सूची का प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा, नागरिकों को नए चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए एक व्यापक अभियान की आवश्यकता होगी।

एक राष्ट्र – एक चुनाव करवाने के पक्ष में तर्क :

1. **वित्तीय बचत और विभिन्न प्रकार के संसाधनों के लागत में कमी आना :** अलग-अलग चुनावों के आयोजन से होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी, क्योंकि चुनावों के लिए संसाधनों की एक बार में ही व्यवस्था की जा सकती है।

2. **स्थिर शासन प्रदान करना :** देश और विभिन्न राज्यों में होने वाले बार-बार चुनावों की वजह से नैतिक आचार संहिता लागू रहती है, जिससे शासन प्रभावित होता है। एक साथ चुनाव कराने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है और शासन की कार्यकुशलता में सुधार हो सकता है।

3. **मानव – संसाधन या जनशक्ति का बेहतर उपयोग करना :** एक साथ चुनाव कराने से चुनाव ड्यूटी पर तैनात जनशक्ति को अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाया जा सकेगा, जिससे शासन संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।

एक राष्ट्र – एक चुनाव करवाने के विरुद्ध तर्क :

1. **प्रशासनिक समन्वय की जटिलता :** विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार को चुनावों के आयोजन, संसाधनों के समन्वय और विभिन्न कार्यक्रमों की देखरेख में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

2. **क्षेत्रीय दलों के कमजोर होने की प्रबल संभावना :** एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख दलों की तुलना में कम अवसर मिल सकते हैं और इससे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं अथवा उसके कमजोर होने की प्रबल संभावना होती है।

आगे की राह / एक साथ चुनाव कराने के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीतियाँ :

1. **विधिक स्पष्टता और संवैधानिक संशोधन करना आवश्यक :** एक साथ चुनाव कराने के लिए स्पष्ट विधिक दिशानिर्देश और प्रक्रिया तय करना, तथा चुनाव समन्वय हेतु संवैधानिक संशोधन करना आवश्यक है।

2. **चुनावी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना :** कोविंद समिति की सिफारिश के आधार पर, एक एकीकृत मतदाता सूची प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों में काम आ सके। इससे चुनावों में दोहराव और गलतियों को कम किया जा सकेगा। चुनावी प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे मतदाता सत्यापन और परिणामों का सारणीकरण, दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा।

3. **व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक :** एक साथ चुनावों को करवाने के फायदों और मतदाताओं पर इसके प्रभाव के बारे में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। इसमें गैर सरकारी और सामुदायिक संगठनों का योगदान प्राप्त किया जा सकता है, ताकि जनता को प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जा सके और उनका फीडबैक लिया जा सके।

4. **चुनाव अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की अत्यंत आवश्यकता :** चुनाव आयोग को नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के संबंध में चुनाव अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने चाहिए, ताकि वे एक साथ चुनावों के लिए तैयार हो सकें। इससे चुनावों के संचालन में कुशलता बढ़ेगी।

5. **शासन के स्तर पर संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता :** देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए शासन की संरचना में सुधार की आवश्यकता है, ताकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं की समावेशिता एवं विश्वास को बढ़ाया जा सके।

6. **विधि आयोग की सिफारिशें :** विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट, जो 2029 के आम चुनाव चक्र से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है, के आधार पर भविष्य में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित और सुधारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।

स्त्रोत – पी आई बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. 129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वित करने के लिए अनुच्छेद 82A का समावेश किया गया है।

2. लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करने की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है।

3. निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए अलग-अलग तिथियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।

4. इसमें स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं के चुनावों को भी शामिल किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 3 और 4

D. केवल 1 और 2

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. "129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024" और "केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2024" के तहत "एक राष्ट्र – एक चुनाव" के दिशा में किए गए संशोधनों पर चर्चा करें। इसमें प्रस्तावित अनुच्छेद 82A का महत्व, एक साथ चुनावों के आयोजन की प्रमुख चुनौतियाँ, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें और इसे लागू करने के लिए आवश्यक विधिक, प्रशासनिक और तकनीकी रणनीतियों को विश्लेषित करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS